

RE : DECLARATION BY THE ELECTION COMMISSION NOT TO UNDERTAKE ANY ELECTION PROCESS IN WEST BENGAL UNTIL IDENTITY CARDS ARE ISSUED TO ALL THE VOTERS IN THE STATE

बोलिए सरला माहेश्वरी जी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) :

माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका, सदन का और सरकार का ध्यान देश के सामने उपस्थित एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर दिखाना चाहती हूँ। परसों ही यानी 28 तारीख को हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने अपने बयान में कई बातों के अलावा एक और बेहद चिन्ता-जनक बात कही है। उन्होंने अपने बयान के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार को धमकाते हुए यह कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार अपने हर मतदाता की परिचय पत्र जारी नहीं करती है तो वह पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी हर प्रक्रिया को बंद कर देंगे। यहां तक कि...

(व्यवधान)

आप हर चीज को हंसी मजाक बना बेंते हैं। आप चाहते हैं कि यह हमारी संवैधानिक प्रक्रिया बंद हो जाए, आप यही चाहते हैं।

(व्यवधान) इस हाऊस में बैठने का कोई अधिकार नहीं है आपको। कोई भी संस्था हो ... (व्यवधान)।

उपसभापति : बंटीए ... (व्यवधान)।

Sarala Maheshwari, I request you again that you speak to the Chair and I also told you not to make a long speech. That was my suggestion. Otherwise, I will have to cut off everybody's name and go ahead with the listed business. (Interruption) We try to accommodate Members' concern, but that should not be abused in this House. Please. (Interruption) Very useful time of the House is wasted.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI : I will be very brief, Madam.

श्रीम, मैं सिर्फ तथ्य बयान कर रही हूँ। मैं सिर्फ उस बयान का जिक्र कर रही हूँ जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को धमकाया है कि वह

अगर परिचयपत्र जारी नहीं करती अपने मत-दाताओं को तो आगामी अप्रैल माह में होने वाले राज्यसभा के चुनावों को भी वे स्थगित कर देंगे, राज्यसभा के चुनाव भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि वे राष्ट्रपति से शिकायत करने कि पश्चिम बंगाल सरकार संवैधानिक संकट पैदा करने जा रही है।

उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि इससे पहले हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार ने कभी सिद्धांततः इस बात का विरोध नहीं किया कि वह परिचयपत्र जारी करना नहीं चाहती। महोदया, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने बार-बार इस बात को कहा है कि वे राजी हैं इस बात पर कि चुनाव सुचारु रूप से हों, चुनाव निष्पक्ष ढंग से हों और इसके लिए मोहन साहब जी भी आदेश दें, चाहे वह परिचयपत्र जारी करने का हो लेकिन हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, इसलिए आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ले या केन्द्रीय सरकार ले। लेकिन उसके लिए एक राज्य सरकार को जिम्मेदार बतते हुए पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना कहां तक स्वायत्त है?

उपसभापति महोदया, यह सदन सर्वोच्च है, हमारी संसद सर्वोच्च है। चुनाव आयोग भी हमारे संविधान के नियमों के अन्तर्गत कार्य करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि आप केन्द्रीय सरकार को निर्देश दें कि वह राज्य सरकार की मदद करें। हमारे इस सदन में इस पर बहस होनी चाहिए कि आखिर कब तक चुनाव आयोग इस तरह कार्य करता रहेगा, इस तरह की बयानबाजी करेगा और एक राज्य सरकार को धमकाता रहेगा तो हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया का भविष्य खराब होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सरकार इस बारे में बयान दें।

SHRI JIBON ROY (West Bengal) : Madam, I just want to make a point.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No discussion on it. (Interruptions) You have expressed your concern.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : We request the Central Government to come to the aid of the West Bengal Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Your concern has been registered.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : They must lend the fund for it. We request for funds from the Central Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Ahluwalia, you want to create more trouble in the House ?

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, सरला माहेश्वरी जी ने जो मुद्दा उठाया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, कल के अखबारों में सारे भारतवर्ष ने और सारी दुनिया ने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन का एक और सरकुलर जारी हुआ है जिसमें हम लोगों के बारे में कहा गया है कि हम लोगों ने गलत बयानी करके राज्यसभा का चुनाव लड़ा है। महोदया, आखिर इलेक्शन कमिशनर क्या चाहते हैं? वे किस तरह का सर्टिफिकेट चाहते थे, किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते थे? अगर वह बिहार के किसी भी बिहारी से पूछें कि एस०एस० अहलुवालिया कहां का रहने वाला है तो मेरे गांव का नाम तक वह बता सकता है, पूरा पता बता सकता है।

महोदया, मैं वहां का रेवेन्यू पेयर हूं। वहां मेरे बच्चे पंदा हुए, हॉस्पिटल में उनका रिकार्ड है। मेरे बच्चे वहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे, स्कूल में उनका रिकार्ड है। मेरा वहां मकान है, मैं म्युनिसिपल टैक्स देता हूं। मेरा टेलीफोन है, मेरी बिजली है और उसके वावजूद मेरे बारे में लिखा गया है कि मैंने गलत बयानी करके बिहार से चुनाव लड़ा है। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि वैसे भी संविधान के तहत उनकी क्या अधिकार है कि एक मेम्बर जो राज्यसभा या लोकसभा के के लिए इलेक्ट हो गया हो, रिटनिंग ऑफिसर ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया हो, उसके बारे में वे ऐसी बात कहें। सबसे पहले तो जिस समय स्कूटी होती है तब सर्टिफिकेट दिया जाता है कि सारी जांच करके पाया गया है कि यह यहां का वोटर है और उसके बाद उसको इलेक्ट होने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इलेक्ट हुआ है।

उसके वावजूद इस तरह की प्रताड़ना करके, एक मेम्बर पार्लियामेंट के बारे में दुष्प्रचार करना। दुष्प्रचार करना कहां तक न्यायोचित है? इस बारे में कोई अंकुश लगाया जा सकता है या नहीं, इसके लिए सदन में बहस की जरूरत है। इस सदन में इस बारे में विचार होना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। महोदया, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Madam, I do not know about Mr. Ahluwalia, but I can say that Dr. Manmohan Singh is not a permanent resident of Assam. Therefore, this direction of the Election Commission I support totally. *(Interruptions)*

श्री चिमन भाई मेहता (गुजरात) : मैं यह मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन का इस तरह से क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) जो लोग चुने जाते हैं (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : It is not a question of Mr. Bommai, it is a matter of many persons. We are not holding a brief for any person. The normal rule should apply.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. अन्नाराम अहमद) : महोदया, जो माननीय सदस्य गुरुदास दासगुप्ता ने कहा है, तो उसके नाम के बारे में हमने ऐतराज नहीं किया। लेकिन मैं भी उनमें से एक हूं जो कि राजस्थान प्रदेश ही में पढ़ा हूं, वहीं बड़ा हुआ हूं, वहीं का रहने वाला भी हूं। लेकिन मेरा नाम भी अखबारों में आया कि इस तरह से कोई बेईमानी करके राज्यसभा में आए यह टोटली गलत है (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have asked Mr. Kataria. *(Interruptions)*. Order Please. Now I am not permitting you. I have identified someone else.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated) : I want to speak on the issue raised by Shri Ahluwalia.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Do you want to support or oppose ?

SHRI MADAN BHATIA : I want to support, but I am going to...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : In that case, there are many other names, including Mr. Dhawan. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am not allowing. Just now you told me that the time of the House was wasted. Now who is wasting the time of the House ? (*Interruptions*). I am not allowing anybody.

SHRI RAM JETHMALANI : (Karnataka) : Can I respond to the repeated provocations from the Minister of Parliamentary Affairs ? He has been pointing a finger at me for the last ten minutes. Otherwise, he will feel.....

THE DEPUTY CHAIRMAN : Pointing a finger is not permitted in this House.

SHRI MADAN BHATIA : I want to draw your kind attention, and through you, the attention of the entire Members of this hon. House that this action of the Chief Election Commissioner directing the registration officers to reopen the question.....

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya) : Are we discussing the subject ? Then there should be a debate on this.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA : The Election Commission is also on the right path. There is nothing wrong. If you want to discuss the Election Commission.. (*Interruptions*). We should also be given a chance.

SHRI MADAN BHATIA : It is not only high-handed but in violation of the very provision.. (*Interruptions*). It is a matter of concern.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA : I want the whole thing to be debated.

SHRI G. G. SWELL : Are we allowing the debate ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Madan Bhatia, be brief. Please do not make a speech. We have no time for a speech.

SHRI RAM JETHMALANI : I am one of the persons...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down. I have to stop somewhere. I am not permitting, I am not allowing. (*Interruptions*). Mr. Swell, please sit down. A matter is being raised in this House by Mrs. Sarla Maheshwari. Mr. Ahluwalia raised it because his name has been mentioned. The names of some others are also being talked about. (*Interruptions*). Mr. Swell, please sit Election Commission. Now I won't allow a debate on it. I am not allowing anybody to make a speech over here. I am very sorry. I have got two-three names more. I have to finish this and go ahead with the discussion. That is too much.

SHRI MADAN BHATIA : I want only one minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Kataria has been identified.

SHRI MADAN BHATIA : I am only submitting, Madam, that once the name of a person is registered in the electoral rolls, there is no provision under this Act for the Chief Election Commissioner to make a correction.. (*Interruptions*)..and to cancel the entire course in the entire country... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Kataria.. (*Interruptions*)..

SHRI CHIMANBHAI MEHTA : But it is a fact that...

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am not allowing you. Nothing is going on record.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :*

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, nothing. Yes Mr. Kataria.

*Not recorded.